

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

-: सूचना :-

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के स्वीकृति के पश्चात् वाहन स्वामी स्वीकृत परमिट कार्यालय से प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब करते हैं।


अतः सभी वाहन स्वामी को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृति के पश्चात् सभी औपचारिकता पूर्ण करते हुए अधिकतम पंद्रह दिन के अन्दर कार्यालय से परमिट प्राप्त कर लेंगे अन्यथा कार्यालय स्वीकृत परमिट निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ह0/-

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

ज्ञापांक -01-01/2025/परि0.....238....., दिनांक19../...05../2026

प्रतिलिपि -श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
को प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।